वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–3
(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। **आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र रायगढ़, जिला रायगढ़, द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल में संरक्षित वन 8.960 हे., राजस्व वन 229.413 हे. की कुल 238.373 हे. आवेदित वनभूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 09.12.2017 को किया गया है।**

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

एस.ई.सी.एल.के बरौद खदान हेतु प्रस्तावित वनभूमि रायगढ़ वनमण्डल के घरघोड़ा परिक्षेत्र के कक्ष क्रं. P1286 संरक्षित वन 8.960 हे. एवं राजस्व वनक्षेत्र 229.413हे. कुल 238.373 हे. है। उक्त वनक्षेत्र में मुख्य रूप से मिश्रित प्रजाति उपलब्ध है, उक्त क्षेत्र में 0.4 से कम घनत्व के वनसस्य उपलब्ध है –

प्रस्तावित वन कक्ष के समीप में हाथी विचरण वर्ष में 01–02 माह तक पाया गया है, अर्थात प्रस्तावित खदान के सीमा से 10 कि.मी. परिधी के अंतर्गत हाथी विचरण क्षेत्र स्थित है। प्रस्तावित वनक्षेत्र में वनक्षेत्र से समिपस्थ ग्रामीणों द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण तथा अन्य लघुवनोपज नियमित रूप से एकत्रित कर आय प्राप्त की जाती है।

प्रस्तावित खनि क्षेत्रं के के.एम.एल. फाईल द्वारा तैयार किये गये नक्शे का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि, खनि क्षेत्र के बाये तरफ कुरकीट नदी के सीमा पर जी.पी.एस. कोआर्डीनेट किया गया है, इस प्रकार प्रस्तावित क्षेत्र में खनन करने पर उक्त नदी की सीमा प्रभावित होना तथा नदी के जल प्रवाह प्रभावित होने की संभावना है । इस प्रकार कुरकीट नदी केलो नदी में जाकर समाहित होती है एवं केलो नदी आगे जाकर माण्ड नदी में समाहित हो जाती है, जल प्रवाह प्रभावित होने की स्थिति में खनन क्षेत्र के समीप विचरण करने वाले हाथी पर भी प्रभाव पड़ेगा । अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर क्षेत्र के वन्यप्राणी तथा क्षेत्र जल संसाधन, जल ग्रहण क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विस्तृत अध्ययन कर उचित निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर